

धायलय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०- 20/2019







तारीखरजू:- 22.2.19

उनवान:- ओमप्रकाश बनाम तहसीलदार

दावा वावत इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88,136 रा0टि0एक्ट

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.2.19 | वादी की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88, 136 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 12.03.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली |
| 12-3-19 | वादी वकील उप०/प्रतिवादी की ओरसे कैरोनार सरकार उप०/जबाब पेश करने समय-चाहा/जबाब पेश करने दि० 9-4-19 को पेश हो। 620 22-2-19 |
| 9-4-19 | वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी चुनाव काममें व्यक्त है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16-5-19 को पेश हो। |
| 16-5-19 | वादी वकील एवं कैरोनार सरकार उप०/जबाब पेश करने समय-चाहा। आगामी सुनवाई तिथि पर जबाब पेश हो। पत्रावली दिनांक 28-6-19 को पेश हो। |
| 28-6-19 | वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी इतमकाश पट्टधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 9-7-19 को पेश हो। |
| 9-7-19 | वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली पट्टधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 30-7-19 को पेश हो। |
| 30-7-19 | वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी बाल पट्टधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 20-8-19 को पेश हो। |

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-9-19 | वादी वकील एवं पैरोकार (सरकार की ओर से) आफिस कारगो उप०) डागाभी सुनवाई तिथी पर (जब्त) लिखित प्रस्तुत करने का निवेदन किया। पत्रावली दिनांक 2-9-19 को पेश हो।  |
| 3-9-19 | वादी वकील, पैरोकार (सरकार उप०) जब्त पेश करने समय-चाहा। दिनांक 17-9-19 को पेश हो।  |
| 17-9-19 | वादी वकील उप०) पैरोकार (सरकार उप०) जब्त पेश किया। जब्त की गति वादी वकील ने प्राप्त की। सीधे बहस के लिए काफ्यन किया। बहस बहस दिनांक 30-9-19 को पेश हो।  |
| 30-9-19 | वादी वकील उप०) बहस हेतु समय-चाहा। बहस बहस दिनांक 1-11-19 को पेश हो।  |
| 1-11-19 | वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी बहस पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19-11-19 को पेश हो।  |
| 19-11-19 | वादी वकील उप०) वादी वकील ने मुकदमा विज्ञे करने व खारिज किये जाने का अर्चना पत्र प्रस्तुत किया। वादी वकील की बहस हुनका यह अर्चना पत्र स्वीकार किया जाता है। मुकदमा वापिस लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर सि कम होकर दाखिल दफ्तर हो।  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) |

